सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की

अनुदान मांगों (2017-18) पर

वित्तीय मामलों की स्थायी समिति की

पैंतालिसवीं रिपोर्ट में निहित

सिफारिशों/पर्यवेक्षणों पर की गई कार्रवाई

अथवा

प्रस्तावित कार्रवाई

संदर्भ सां.और कार्य.कार्या. मंत्रालय के का.ज्ञा. सं.जी-20017/1/2017-बीएंडएफ, दिनांक 20.06.2017

वित्तीय मामलों की स्थायी समितिकी पैंतालिसवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/पर्यवेक्षणों पर की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट

सूची

टिप्पणी/अनुशंसा क्रम सं.	मदें	पृष्ठ सं.
I	बजटीय आबंटन	1-2
II	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस)	3-5
III	राष्ट्रीय प्रितदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)	6-9
IV	जनशक्ति संबंधी मुद्दे	10-12
V	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई)	13-14
VI	उत्तर-पूर्व में सर्वेक्षण क्षमता का सुदृढ़ीकरण	15-16
VII	रोजगार स्थिति पर वास्तविक समय आंकड़ों की आवश्यकता	17-18
VIII	आंकड़ा डायनामिक्स	19-20
IX	सतत विकास लक्ष्य (एसडीजीएस)	21-22

वित्त संबंधी स्थायी समिति की 45वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/पर्यवेक्षणों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

<u>प्रेक्षण/सिफारिशें</u>

<u>बजटीय आबंटन</u>

1. समिति ने यह पाया कि गत तीन वित्तवर्षों में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमपीलैडस को छोड़कर) के बजटीय व्यय, संशोधित व्यय तथा वास्तविक व्यय के आंकड़े वर्ष 2014-15 के लिए क्रमश: 528 करोड़ रूपए (बजटीय अनुमान),309.32 करोड़ रूपए (संशोधित अनुमान) और 266.80 करोड़ रूपए (वास्तविक व्यय) रहे, जबकि वर्ष 2015-16 के लिए तदनुरूपी आंकड़ें 402.50 करोड़ रूपए, 200.04 करोड़ रूपए और 192.93 करोड़ रूपए रहा । वर्ष 2016-17 में भी इसी प्रवृत्ति को जारी रखते हुए बजटीय अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय क्रमश: 250 करोड़ रूपए, 250 करोड़ रूपए तथा 143.80 करोड़ रूपए (दिसंबर 2016 तक किया गया व्यय) रहा,जो इस वित्त वर्ष में अब भी विद्यमान है, चूंकि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आबंटन मात्र 168.28 करोड़ रूपए है, जो 32.7% की भारी कमी है, इससे यह पुष्टि होती है कि बजटीय प्रक्रिया युक्तिसंगत होनी चाहिए और इसे और अधिक वास्तविक तथा आवश्यकता आधारित बनाया जाना चाहिए । उन्नत प्रौद्योगिकीयविभिन्नताओं और आर्थिक गतिशीलता के इस युग में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, विशेषकर अवधारणात्मक उपकरणजैसे 'बड़े आंकड़े' और 'वास्तविक समय आंकड़ो'के संचालन के संबंध में । अत: यह आवश्यक है कि मंत्रालय के बजटीय आबंटन को सामयिक आर्थिक परिदृश्य,प्रमाणिक आंकड़ा आधार की बढ़ी हुई भूमिका कोसामने रखते हुए पुन:विचार किया जाना चाहिए । अत: समिति मंत्रालय के लिए बढ़े हुए आबंटन की सिफारिश करती है । मंत्रालय को बजटीय आबंटन और वास्तविक व्यय में निरंतर आ रहे अंतराल को समाप्त करतेहुए बेहतर उपयोग द्वारा अपनी क्षमता में भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है ।

उत्तर:

मंत्रालय निकटतम एवं निरंतर मॉनीटरिंग के माध्यम से निधियों के उपयोग में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है । मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों को उनकी मासिक व्यय योजना (एमईपी) तैयार करने और इन योजनाओं का पालन करने का परामर्श दिया गया । वर्ष 2017-18 के लिए मंत्रालय संशोधित अनुमान (आर.ई.) स्तर पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने का प्रस्ताव रख रहा है ।

संदर्भ सां.और कार्य.कार्या. मंत्रालय के का.ज्ञा. सं.जी-20017/1/2017-बीएंडएफ, दिनांक 20.06.2017

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस)

2. समिति ने नोट किया है कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी प्रणाली में सहमत अवधारणाओं, परिभाषाओं और लेखांकन नियमों पर आधारित वृहत-आर्थिक लेखे - चालू एवं संचय खाते,तुलन पत्र और सारणियोंका एक सुसंगत, संगतऔर समेकित सेट शामिल है । समिति ने यह भी पाया कि एनएएस से मुख्यतया किसी देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है । सरकारी सांख्यिकी का मूल उद्देश्य लोगों को जागरूक रखने के लिए समाज और अर्थव्यवस्था की एक सही, अद्यतन,समेकित तथा अर्थपूर्ण विस्तृत छवि उपलब्ध कराना और सरकार की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों को तैयार करने व उनकी मानिटरिंग में सहायता देनाहै । समिति का यह विचार है कि राष्ट्रीय लेखों की आधार वर्ष 2011-12 वाली नई श्रृंखला से समाधानों की तुलना में और अधिक प्रश्न ही उठाएं हैं । सकल घरेलू उत्पाद आंकडें स्पैक्ट्रम के परे आर्थिक कार्य कलापों की गतिशीलता को परिलक्षित करते प्रतीत नहीं होते । अत: सरकारी सांख्यिकी की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए एक अधिक वास्तविकतापूर्ण गणना पद्धति अपनाना श्रेयस्कर होगा । इसके अतिरिक्त इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय लेखों में परिवर्तन आधार वर्ष 2004-05 से परिवर्तित कर 2011-12 के कारण और लेखांकन प्रणालीको लागत से बदलकर बाजार मूल्य करने कीवजह से हुआ, समिति का यह विचार है कि इन विभिन्नताओं पर कार्य करने के लिए एक रेखिक उपाय होना चाहिए बजाय कि इसे पांच वर्षों अथवा अधिक की अवधि में किया जाए । अत: समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को राष्ट्रीय लेखों को वार्षिक आधार पर संशोधित किए जाने की संभावना तलाशनी चाहिए जिससे अब जिस प्रकार के विवाद और बहस उभर रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए और नियमित आंकड़ा संग्रहण के अलावा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के समर्पित प्रयास किए जाने चाहिए । समिति को,वर्ष 2016-17 के लिए हाल ही सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों के लिए सीएसओ द्वारा अपनाई गई युक्ति/प्रक्रिया/पूर्णधारणाओं, जिन्हे स्वतंत्र विशेषज्ञों विशेष रूप से विमुद्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में उच्च अनुमानन कहा गया है, से अवगत कराएं ।

उत्तर:

(1) राष्ट्रीय लेखों को वार्षिक आधार पर संशोधित करने की सिफारिश के संबंध में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय लेखे,आंकड़ा समेकन फ्रेमवर्क होने के कारण,इसके आधार वर्ष में संशोधन असंगठित क्षेत्रों के संबंध में नवीनतम आंकड़ों की उपलब्धता, जिनका आवधिक रूप से सर्वेक्षण किया जाता है, जैसे रोजगार-बेरोजगारी, उपभोक्ता व्यय इत्यादिऔर लघु अवधि संकेतक जैसे थोक मूल्य सूचकांक(सीपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(सीपीआई), पर निर्भर करता है । राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय लेखों के आधार वर्ष में परिवर्तन करने के लिए राज्य स्तर पर राष्ट्रीय लेखों के आधार वर्ष में इसी प्रकार के परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है । राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों का संकलन भी एनएसएस उद्यम सर्वेक्षणों और रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षणों से राज्य स्तरीय सूचना की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है और अनेक क्षेत्रों जैसे कोरपोरेट सेक्टर जैसे क्षेत्रों के संबंध में आंकड़ों के प्रवाह के लिए केंद्र पर निर्भर हैं । इन सभी तथ्यों के संबंध में राष्ट्रीय लेखों के आधार वर्ष को वार्षिक तौर पर संशोधन करना अपरिहार्य नहीं होगा । अत: माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमोदन से, सिफारिश को स्वीकृत नहीं करने का निर्णय लिया गया है ।

(2) नियमित आंकड़ा संग्रहण के अलावा तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए समर्पित प्रयास करने की सिफारिश के संबंध में, यह बताया गया है कि सीएसओ विकेंद्रीकृत सांख्यिकीय तंत्र में विभिन्न स्तरों पर आंकड़ा पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास कर रहा है । राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी परामर्शी समिति (एसीएनएएस), जिसकी बैठक 21.03.2017 को हुई,जिसमें नए आंकड़ों की उपलब्धता की संभावना और वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय लेखों के आधार वर्ष में और संशोधन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लेखों के संकलन के लिए आंकड़ा स्रोतों की समीक्षा की गई । तदनुसार एसीएनएएस ने विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़ा तंत्रों के सुदृढ़ीकरण और अगले आधार संशोधन के लिए प्रक्रिया आरंभ की ।

(3) युक्तिसंगत/प्रक्रिया/लगाए गए अनुमानों और वर्ष 2016-17 के लिए उनके हाल के सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमानों में सीएसओ द्वारा अपनाई गई सिफारिशों के संबंध मेंयह बताया गया कि दिनांक 07.01.2017 और 28.02.2017 को अग्रिम अनुमानों पर जारी प्रेस विज्ञप्तियों में संबंधित अनुमानों के संकलन में की गई युक्तिपरकता/प्रक्रिया/अनुमानों के संबंध में और अधिक विस्तार से दिया गया है ।विमुद्रीकरण के संबंध में, यह बताया गया कि

विमुद्रीकरण के प्रभाव के आकलन के लिए कोई प्रत्यक्ष आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं ।विमुद्रीकरण, जोकि एक विस्तृत नीति परिवर्तन है अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार के प्रभाव को दिखाने में समय लेगा । विमुद्रीकरण, जनसामान्य जिस प्रकार लेन-देन करता है, के तरीके में एक व्यवहारिक परिवर्तन लेकर आया है । रोकड़ आधारित लेन-देन की जगह अब इलेक्ट्रोनिक प्रणाली का उपयोग किया जा है । इसका प्रभाव कर संबंधी रिपोर्टिंग प्रणाली पर भी पड़ेगा । अत: विमुद्रीकरण का प्रभाव अवश्यंभावी रूप से नकारात्मक नहीं है ।

सीएसओ ने दिनांक 28.02.2017 को अक्तूबर से दिसंबर 2016 की अवधि के लिए तीसरी तिमाही (क्यू 3) अनुमानों सहित वर्ष 2016-17 के लिए द्वितीय अग्रिम वार्षिक अनुमान जारी किए । तीसरी तिमाही विमुद्रीकरण का प्रथम अप्रत्यक्ष मूल्यांकन उपलब्ध कराती है । वर्ष के लिए समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.1 प्रतिशत (स्थिर मूल्यों पर) अनुमानित है जो वर्ष 2015-16 के 7.9 प्रतिशत की तुलना में अक्तूबर 2016(विमुद्रीकरण नीति से पूर्व अवधि) तक के आंकड़ों का उपयोग करते हुए जनवरी माह में परिलक्षित किए गए थे । सकल घरेलू उत्पाद के तीसरी तिमाही के अनुमान स्थिर मूल्यों पर 7 प्रतिशत दिखाए गए हैं । क्षेत्रीय आधार पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों,उद्योग और सेवा क्षेत्रों के लिए अनुमान बढ़कर क्रमश: 6 प्रतिशत, 6.6 प्रतिशत तथा 6.8 प्रतिशत हुआ है । वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही में विनिर्माण एवं वित्तीय, जमीन जायदाद एवं व्यावसायिक सेवाओं में क्रमश: 8.3 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वित्त, जमीन जायदाद और व्यावसायिक सेवा क्षेत्र की वृद्धि में कमी आई थी । फरवरी 2017 की स्थिति के अनुसार, बहु दशकों तक बैंक ऋण वृद्धि में 5 प्रतिशत की कमी और जमा राशि में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । इसके लिए विमुद्रीकरण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है । वर्ष 2016-17 में सब्सिडी की युक्तिपरकता के कारण, स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2015-16 में अनुमानित 7.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 7.1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई । सकल घरेलू उत्पाद अनुमानोंपर सीएसओ की प्रेस विज्ञप्तियां दिनांक 07.01.2017 और 28.02.2017 को पत्र सूचना ब्यूरो के माध्यम से पब्लिक डोमेन पर इस मंत्रालय की वेबसाइट पर अभी भी उपलब्ध हैं । अत: ये सरकार के अंदर और बाहर विशेषज्ञोंके लिए उनके स्वयं के मूल्यांकन हेतु उपलब्ध हैं ।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय(एनएसएसओ)

3. समिति ने पाया कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नियोजन, नीति-निर्माण और सूचित निर्णय लेने के लिए जरूरी विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर आंकडा अंतरालों को कम करने के लिए आंकड़ा तैयार करने हेतु वृहत स्तर पर राष्ट्रव्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आयोजन के लिए उत्तरदायी है । उन्होंने यह भी नोट किया कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय शीघ्र ही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न श्रम बल संकेतकों के वार्षिक अनुमान तैयार करने के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में श्रम बाजार के विभिन्न सांख्यिकीय संकेतकों के तिमाही परिवर्तनों को मापने के लिए आंकडा संग्रहण के मूल उद्देश्य के साथ राष्ट्रव्यापी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आरंभ करने जा रहा है जिससे श्रम बल गतिशीलता को बेहतर समझा जा सके । तथापि समिति यह जानने के लिए विवश है कि मंत्रालय द्वारा स्वयं स्वीकारकरने के बावजूद कि अनुबंध कर्मचारियों द्वारा आयोजित प्रतिदर्श सर्वेक्षण संग्रहित आंकड़ों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है,मंत्रालय फील्ड सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित मूलभूत आंकड़े संग्रहित करने के लिए अनुबंध पर कर्मचारियों को काम पर लगा रहा है । उन्होंने एनएसएसओ और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आयोजित प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के परिणामों में विस्तृत विभिन्नताओं के संबंध में भी चिंता जताई । विवादित और विभिन्न तरह के परिणामों के साथ सर्वेक्षणों की परस्पर व्याप्ति हुई है, भले ही एनएसएसओ और राज्य, सर्वेक्षणों के आयोजन के लिए उन्हीं व्यक्तियों को काम पर रखा था । अत: समिति मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने की सिफारिश करती है जिससे सदा के लिए ऐसी विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और पद्धतियों में तालमेल बिठाने के लिए उपाय किए जा सकें,उनके माध्यम से आंकडों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके । समिति इस बात पर बल दे रही है कि गांवों और शहरों के लिए रोजगार इत्यादि संबंधी तिमाही और वार्षिक आंकड़े तैयार करने के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आरंभ करने की यह प्रक्रिया एक समयबद्ध रूप में इस समिति को सूचित करते हुए वास्तविक समय आंकडे दर्शाते हुए कार्यान्वित की जाए ।

<u>उत्तर:</u>

(1) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) अप्रैल 2017 माह में शहरी क्षेत्रों में श्रम बाजार के विभिन्न सांख्यिकीय संकेतकों के तिमाही परिवर्तनों के आकलन के साथ-साथ ग्रामीण और

शहरी क्षेत्रों दोनों में विभिन्न श्रम बल संकेतकों के वार्षिक अनुमान तैयार करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया । प्रतिदर्श डिजाइन अनुमानन प्रक्रिया आदि सहित पीएलएफएस के लिए सर्वेक्षण साधन इत्यादि को अन्य सदस्यों के अलावा,डा.एस.पी.मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित श्रम बल सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति जिसमें राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल थे, द्वारा अंतिम रूप दिया गया है । सर्वेक्षणों के आयोजन तथा विभिन्न सर्वेक्षण और जनगणना से श्रम बल सांख्यिकी के संग्रहण,संकलन और प्रसार के तंत्र की देख-रेख के अतिरिक्त समिति केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किए जा रहे श्रम बल सर्वेक्षणों के समन्वयन और एकीकरण के लिए एक समुचित तंत्र का भी सुझाव देती है । अत: रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षणों के दोहराव से बचने के साथ-साथ मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एससीएलएफएस के रूप में एक तंत्र मौजूद है । एनएसएसओ द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से टेबलेटों के उपयोग द्वारा आंकड़े एकत्र करने के लिए एक कंप्यूटर सहायक वैयक्तिक साक्षात्कार (सीएपीआई) समाधान विकसित किया गया है । इस समाधान से आंकड़े एकत्र करने के अलावा कागजी अनुसूची को दस्ती उपस्करों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा इसके अतिरिक्त आंकड़ा संग्रहण के समेकन व आंकड़ों की प्रमाणिकता/अद्यतन करने के आधारभूत इन-बिल्ट तंत्र के साथ प्रविष्टि, गुणवत्ता में सुधार और परिणाम समय से जारी किए जा सकेंगे । पीएलएफएस में सीएपीआई समाधान के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात सीएपीआई समाधान को एनएसएसओ के अन्य सर्वेक्षणों में भी विस्तारित किया जाएगा ।

(2) एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अपने सर्वेक्षणों का आयोजन करने के लिए आंकड़ों के संग्रहण के लिए आवश्यक जनशक्ति के संवर्धन के लिए अनुबंध आधार पर कार्मिकों को नियुक्त करता है । अनुबंध आधार पर क्षेत्रीयअन्वेषकों की नियुक्ति के कारण आंकडों की गुणता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, एनएसएसओ इस संबंध में पर्याप्त उपाय कर रहा है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपेक्षित सर्वेक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त कार्मिक नियुक्त किए जाएं, अभ्यर्थियों की इसी प्रकार के कार्यों में उनके पूर्व अनुभव तथा उनकी शैक्षिक अर्हताओं की भी जांच की जातीहै । उपयुक्त अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन करने से पूर्व एक बोर्ड द्वारा उनका साक्षात्कार भी लिया जाता है । चयनित अभ्यर्थी जिन्हें क्षेत्रीय अन्वेषकों के रूप में जाना जाता है, को वास्तविक सर्वेक्षणों में लगाए जाने से पूर्व प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग अभ्यासों से गुजरना होता है । क्षेत्रीय अन्वेषकों का प्रशिक्षण स्थानीय भाषाओं में विस्तारपूर्वक आयोजित किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके

कि आंकड़ा संग्रहण के दोरान वे अवधारणाओं और परिभाषाओं तथा संबंधित निदेशों को सही रूप में समझ सकें । आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फील्ड अन्वेषकों द्वारा संग्रहित आंकड़ों की जांच/पर्यवेक्षण और समीक्षा वरिष्ठ नियमित अधिकारियों द्वारा करने का भी तंत्र मौजूद है ।

(3) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न विषयों पर समाजार्थिक सर्वेक्षणों का आयोजन करता है । एनएसएसओ(केंद्रीय प्रतिदर्श) द्वारा प्रचारित प्रतिदर्श के आधार पर, प्रत्येक सर्वेक्षण के परिणामों को रिपोर्टों के रूप में प्रकाशित किया जाता है । राज्य सरकारें भी इन सर्वेक्षणों में एक समान प्रतिदर्श आधार (राज्य प्रतिदर्श) पर इन सर्वेक्षणों में समान सर्वेक्षण उपस्करों (अर्थात् अनुसूचियां और अवधारणाएं एवं परिभाषाएं) का उपयोग करते हुए भाग लेती हैं । प्रत्येक सर्वेक्षण के लिए, चुने हुए राज्यों के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा गठित कार्यदल में सैंपलिंग डिजाइन,अनुमान प्रक्रिया आदि तैयार करने के लिए शामिल किया जाता है ।राज्य प्रतिदर्शों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा संग्रहित आंकड़ों का आंकड़ा विधायन प्रोटोकोल के अनुसार विधायन किया जाता है तथा एनएसएसओ द्वारा एक साझा सारणीयन योजना तैयार की जाती है । एनएसएसओ (अर्थात् केंद्रीय प्रतिदर्श) द्वारा संग्रहित आंकड़ों के लिए प्रयुक्त प्रतिदर्श के लिए आंकड़ों के आधार पर एनएसएसओ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनुमान उपलब्ध कराता है । उप-राज्य स्तरीय अनुमान एनएसएसओ द्वारा नहीं दिए जाते हैं ।

प्रतिदर्श सैटों, आंकड़ा संग्रहण और विधायन में अंतर के कारण, एनएसएसओ तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित परिणामों में कुछ अंतर हो सकता है ।

उक्त सर्वेक्षणों में राज्य सरकारों की भागीदारी का प्रयोजन केंद्रीय और राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों को मिलाकर राज्य सरकारों द्वारा उप-राज्य/जिला स्तरीय अनुमान तैयार करने हेतु उचित प्रतिदर्श आकार रखना है ।

प्रतिदर्श सर्वेक्षणों को आयोजित करने में लगे राज्य सरकार के पदाधिकारियों को एक साझा प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समान अवधारणाओं और परिभाषाओं का उपयोग करके प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि एजेंसी के पूर्वाग्रह को न्यूनतम किया जा सके । आंकड़ा विधायन कार्यप्रणाली को आंकड़ा विधायन कॉन्फ्रेंस तथा एनएसएसओ द्वारा विकसित आंकड़ा विधायन

साफ्टवेयर, जिसे राज्यों को उनके उपयोग के लिए वितरित किया गया है, के माध्यम से राज्य सरकार पदाधिकारियों के साथ भी साझा किया जाता है ।

एनएसएसओ ने केंद्रीय और राज्य प्रतिदर्शों के आंकड़ों का मिलान करने उप-राज्य स्तरीय अनुमान प्रकाशित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपयोग हेतु एक समान कार्य प्रणाली तथा सॉफ्टवेयर भी विकसित की है । एनएसएसओ द्वारा पूलिंग की कार्यप्रणाली तथा साफ्टवेयर राज्य सरकारों के साथ साझा किए जाते हैं तथा राज्य सरकार के अधिकारियों की नियमित अंतरालों पर इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के संबंध में एनएसएसओ के पास सर्वेक्षण करवाने के प्रयोजन या हेतु जनशक्ति नहीं है या पर्याप्त जनशक्ति नहीं है । केंद्रीय तथा राज्य प्रतिदर्शों दोनों के लिए सम्मिलित राज्य अर्थ और सांख्यिकी निदेशालयों द्वारा फील्ड कार्य किया जाता है ।

केंद्रीय प्रतिदर्श तथा राज्य प्रतिदर्श पर आधारित अनुमान प्रतिचयन तथा गैर-प्रतिचयन त्रुटियों के कारण भिन्न हो सकते हैं ।

जनशक्ति संबंधी मुद्दे

4. समिति ने मंत्रालय में हर समय जनशक्ति की कमी पर गहरी चिंता जताई । दिनांक 01.12.2016 की स्थिति के अनुसार, अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा में 861 रिक्तियां हैं । आवश्यकता के अनुसार नियमित फील्ड स्टाफ न होने से एनएसएसओ द्वारा प्रतिदर्श सर्वेक्षण संविदात्मक स्टॉफ के तहत करवाना पड़ेगा, इसे आंकड़ों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ सकता है । इसके अलावा, प्रशिक्षण, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से निपटने के लिए नियमित संकाय सदस्यों और सम्बद्ध सहायक स्टाफ की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता के कारण राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (नस्ता) इष्टतम रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है । सांख्यिकी संवर्गों में ऐसी अधिक रिक्तियां केवल इस आंशका को बल दे सकती है कि इसका संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता और साख पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है । जबकि यह माना जाता है कि अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा में नौकरी छोड़ने की बड़ी दर और तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त जनशक्ति की पर्याप्त कमी मंत्रालय के सम्मुख एक गंभीर मुद्दा है । अत: समिति चाहती है कि फील्ड स्टाफ की बेहतर कार्य स्थितियों और पर्याप्त प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएं, क्योंकि इनका आंकड़ों के संग्रहण, विधायन तथा प्रचार-प्रसार में गुणवत्ता, कवरेज, समयपरकता और सटीकता का सीधा सह-संबंध है । वे यह भी संस्तुत करेंगे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी में नियमित सदस्यों तथा सहायक स्टाफ की कमी को, सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बेहतर कार्यकरण हेतु, प्राथमिक आधार पर तुरंत निराकरण किया जाना चाहिए । इसके अलावा, मंत्रालय को सरकारी सांख्यिकी के उत्पादन, संगठन तथा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण हेतु समर्पित प्रयास करने चाहिए ।

<u>उत्तर:</u>

अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) में जनशक्ति की कमी के संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

i) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) 2014 के तहत, नियुक्ति के 347 प्रस्ताव जारी किए गए हैं । इसी तरह से, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) 2015 के लिए एसएससी द्वारा संस्तुत सभी 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का ऑफर जारी किया जा रहा है ।

ii) इसके अलावा, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) 2016 के माध्यम से कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों की भर्ती की जा रही है, जिसके लिए एसएससी को 666 रिक्तियों को भरने की सूचना दी गई है । अंतिम परिणाम जून 2017 के दौरान घोषित किए जाने की संभावना है । इस प्रकार, आशा है कि जेएसओ की रिक्ति स्थिति को काफी कम किया जा सकेगा ।

iii) हाल ही में 285 कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों को इस मंत्रालय के आदेश सं.12016/1/2016-एसएसएस दिनांक 20 अप्रैल 2017 के तहत वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के पद पर प्रोन्नयन किया गया है । इसके कारण, कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी की रिक्तियों की स्थिति घटकर केवल 100 रह गई है ।

iv) सेवा को और अधिक आकर्षक बनाने तथा नौकरी छोड़ने की दर को घटाने के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस मंत्रालय की आईडी नोट सं.12035/02/2010-एसएसएस के तहत सचिवों की समिति के समक्ष ग्रेड पे 4200 रूपए से 4600 रूपए के उन्नयन का मामला भी उठाया । सचिवों की समिति का निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

v) उक्त के अलावा, इस मंत्रालय ने माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री के अनुमोदन से एसएसएस के जेएसओ को 4600 रूपए का ग्रेड पे (लेवेल 7) देने तथा एसएसओ को 4800 रूपए का ग्रेड पे (लेवेल 8) प्रदान करने हेतु सातवें सीपीसी के कार्यानवयन प्रकोष्ठ को एक प्रस्ताव भेजा था, ताकि एसएसएस में नौकरी छोड़ने की उच्च दर पर काबू पाया जा सके ।

vi) जहां तक, एसएसएस की संवर्ग समीक्षा का संबंध है, उल्लेख किया जाता है कि दिसंबर 2017 में इसकी समीक्षा देय है तथा एसएसएस की संवर्ग समीक्षा की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी ।

राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (नास्ता) में भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) तथा अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) के नियमित पद क्रमश: दिनांक

7.6.2016 के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना सं.जीएसआर 579(ई) तथा 9.6.2016 के एसएसएस प्रभाग के का.ज्ञा. सं.11015/1/2014-एसएसएस के संबंध में संबंधित संवर्ग द्वारा अनुरक्षण/इन्हें भरा जा रहा है । व्यय विभाग ने दिनांक 23.09.2010 के अपने आईडी सं.8152871/ईसीआई/10 के तहत नास्ता में 23 पदों का सृजन किया है। इन पदों में प्रोफेसर (2) सह-प्रोफेसर (3) वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट (1), कनिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट (1), पुस्तकाध्यक्ष (1), सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (1), अनुभाग अधिकारी (1), लेखा अधिकारी (1), सहायक (3), उच्च श्रेणी लिपिक/फील्ड सहायक (2), वैयक्तिक सहायक (5), वरिष्ठ लेखा अधिकारी (1), लेखाकार (1) पद हैं । इन पदों में से 10 पदों के लिए भर्ती नियम सं.लो.से.आ./मंत्रालय में प्रक्रियाधीन हैं, जिनका समुचित रूप से अनुपालन किया जा रहा है, शेष 13 पदों के लिए भर्ती नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं । इन पदों का भरा जाना प्रक्रियाधीन है ।

संदर्भ सां.और कार्य.कार्या. मंत्रालय के का.ज्ञा. सं.जी-20017/1/2017-बीएंडएफ, दिनांक 20.06.2017

भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई)

5. समिति नोट करती है कि देश में होने वाली आंकड़ा विश्लेषण में अत्यधिकवृद्धि से, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी और गणित में सभी के लिए एक ही स्थान पर उनसे सुविज्ञाता से होने वाले लाभों को पाने के लिए तत्पर हैं तथा उद्योग, सहयोगों के लिए तैयार है । समिति यह भी नोट करती है कि जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा वित्त पोषित प्रजातियों मैडिसिन बायो कलस्टर (पूर्वी भाग तथा कोलकाता और इसके आसपास छह संगठनों के क्लस्टर सहित) की स्थापना की जा रही है जो मुख्यत: कैंसर अध्ययनों के लिए लक्षित है । वहीं दूसरी ओर, समिति विगत कुछ वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) द्वारा बजटीय अनुमानों तथा व्यय में मेल न होने के बारे में चिंतित है । वर्ष 2015-16 का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय क्रमश: 290.17 करोड़ रूपए, 214.67 करोड़ रूपए तथा 226 करोड़ रूपए था । वर्ष 2016-17 के तदनुरूपी आंकड़े 252.81 करोड़ रूपए, 252.81 करोड़ रूपए तथा 191.97 करोड़ रूपए थे । ये बजटीय आंकड़े स्पष्ट रूप से एक रूझान दर्शाते हैं, के भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) आबंटित निधियों को पूर्णतया उपयोग करने में समर्थ नहीं रहा है । इसके अलावा, मंत्रालय के बजट अनुमान 2017-18 में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) को सहायता अनुदान 'शून्य' है । राजस्व खंड के अंतर्गत वर्ष 2017-18 का बजट अनुमान 274.15 करोड़ रूपए है । समिति ने आशंका जताई है कि पूंजी पक्ष के संबंध में अल्प बजटीय आबंटनों से युग्मित उपभोगिता की ऐसी गति जारी परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न करती है । समिति यह नोट करने को विवश है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान के विभिन्न केंद्रों विशेषकर, तेजपुर, चेन्नई और गिरीडीह पर अवसंरचना विकास से संबंधित कार्य वांछित गति से नहीं हो रहा है परिणामस्वरूप गिरीडीह में भारतीय सांख्यिकी संस्थान से संबंधित भूमि इस क्षेत्र में भू-माफिया द्वारा अधिक्रमण की जा रही है । अत:, समिति मंत्रालय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान से अनुरोध करेगी कि मिशन मोड के तहत पूंजीगत कार्यों की गति को तेज किया जाए । समिति मंत्रालय से यह भी आशा करती है कि वह अकादमिक श्रेष्ठता, अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक सुविज्ञता के संबंध में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) अपने केंद्रों/सुविधाओं की अवसंरचना तथा उन्नयन से संबंधित विस्तार के लिए पूंजीगत पक्ष पर पर्याप्त निधियों को उपलब्ध कराए ताकि यह प्रमुख संस्थान अपनी अधिदेशित भूमिका निभा सके ।

संदर्भ सां.और कार्य.कार्या. मंत्रालय के का.ज्ञा. सं.जी-20017/1/2017-बीएंडएफ, दिनांक 20.06.2017

उत्तर:

उद्योग और अन्य सरकारी संगठनों के सहयोग से आईएसआई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या अनवरत बढ़ गई है । लगभग 15 करोड़ रूपए की राशि सिस्टम मैडिसिन बायो क्लस्टर के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईएसआई को आबंटित की गई है ।

वर्ष 2016-17 में आईएसआई द्वारा किया गया व्यय तथा बजटीय अनुमानों के मेल न होने के संबंध में है, सूचित किया जाता है कि आईएसआई के लिए बजट के पुनर्विनियोजन के उपरांत पूर्वोत्तर को छोड़कर कुल आबंटन 256.30 करोड़ रु. था जिसमें से मंत्रालय ने आईएसआई को 233.80 करोड़ रु. जारी किए । उपलबध नवीनतम रिकार्ड के अनुसार, संस्थान 245 करोड़ रु. व्यय करने में समर्थ रहा है ।

वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में, आईएसआई के लिए समग्र आबंटन इस मंत्रालय के बजट के गैर-स्कीम घटक के तहत किया गया है । वर्ष 2017-18 में पूर्वोत्तर केन्द्र को छोड़कर आईएसआई के लिए कुल आबंटन 274.15 करोड़ रु. है, जिसका 42.17 करोड़ रु. पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए निर्धारित किया गया है । इसके अलावा, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु आईएसआई के पूर्वोत्तर केन्द्र के लिए 6.50 करोड़ रु. आबंटित है । मंत्रालय ने अपने विभिन्न केन्द्रों पर निर्माण कार्य की गति को तेज करने के लिए आईएसआई से अनुरोध किया है । मंत्रालय यदि आवश्यक हुआ तो निर्माण क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त निधियों को प्रदान करने का भी प्रयास करेगा ।

गिरीडीह, आईएसआई केन्द्र पर भूमि के अधिक्रमण के निवारण हेतु, आईएसआई ने बाउन्ड्री वॉल का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है ।

उत्तर-पूर्व में सर्वेक्षण क्षमता का सुदृढीकरण

6. समिति नोट करती है कि मंत्रालय विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों के आधार पर उत्तर-पूर्व में सर्वेक्षण क्षमता के सुदृढ़ीकरण तथा स्थापना पर विचार कर रहा है । वह यह भी नोट करती है कि मंत्रालय ऐसे बाकी सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों में क्षेत्रीय बजट अनुमान कार्यालय खोलना चाहता है जहां वर्तमान में कोई कार्यालय नहीं हैं । तथापि, मुख्य शीर्ष '2552' उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान तथा घटा हुआ संशोधित अनुमान क्रमशः 40.25 करोड़ रूपए तथा 21.50 करोड़ रूपए था । वर्ष 2016-17 के लिए तदनुरूपी आंकड़े 30 करोड़ रूपए (बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान, दोनों) थे । चालू वित्तीय वर्ष में आबंटन कम करके 16.8 करोड़ रूपए कर दिया गया है जो कि 44% कमी है । इसके अलावा, राज्य सरकारों तथा संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों के सहायता अनुदान भी बंद कर दिया गए हैं । इन घटे हुए अनुदानों से उत्तर-पूर्व में सर्वेक्षण क्षमता स्थापित और सुदृढ़ करने तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने के भी संदर्भ में मंत्रालय के उद्देश्य पूरे कर पाना व्यावहारिक नहीं हो पाएगा ।

<u>उत्तरः</u>

एनएसएसओ का अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों में फील्ड स्तरीय ढ़ांचा नहीं है तथा एनएसएस सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के केन्द्रीय तथा राज्य, दोनों प्रतिदर्शों के फील्ड कार्य के लिए इन राज्यों पर निर्भर रहता है । सिक्किम के मामले में, यद्यपि एनएसएसओ के क्षेत्रीय कार्यालय गंगटोक में हैं तथा वे केन्द्रीय प्रतिदर्श का कार्य देखते हैं, तथापि राज्य अपने स्वयं के ढ़ांचे से राज्य प्रतिदर्श का फील्ड कार्य करते हैं ।

संबंधित राज्यों में अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय एनएसएसओ की ओर से एनएसएसओ के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य करता है । एनएसएसओ साल में दो किश्तों में सहायता अनुदान जारी करके उन्हें उनके कार्य के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान करता है । केन्द्रीय प्रतिदर्श के लिए प्रतिपूर्ति की दर 100% है जबकि राज्य प्रतिदर्श के लिए यह 50 प्रतिशत तक सीमित है ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान एनएसएसओ का कार्य करने हेतु उत्तर-पूर्वी राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिए योजना स्कीम - क्षमता विकास के गैर-कार्यात्मक शीर्ष (मुख्य शीर्ष-2552) के अंतर्गत 900 लाख रूपए की राशि आबंटित की गई थी ।

संदर्भ सां.और कार्य.कार्या. मंत्रालय के का.ज्ञा. सं.जी-20017/1/2017-बीएंडएफ, दिनांक 20.06.2017

गत दो वर्षों के दौरान 900 लाख रूपए के इस आबंटन की तुलना में उत्तर-पूर्वी राज्यों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एनएसएस कार्य करने के लिए 1480 लाख रूपए की बढ़ी हुई राशि आबंटित की गई है ।

रोजगार स्थिति पर वास्तविक समय आंकड़ों की आवश्यकता

7. विश्वसनीय तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़ों की कमी, आर्थिक नीति निर्माणतथा इसके पुनः प्रवर्तन विशेषकर रोजगार के संबंध में, एक गंभीर चुनौती उत्पन्न करती है । अतः समिति सरकार से महत्वपूर्ण मापदंडों जैसे बेरोजगारी के संबंध में नियमित तथा अद्यतन सूचना संग्रहीत करने हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास उपलब्ध अवसंरचना की सहायता से काम लेने का आग्रह करना चाहेगी । विकसित देशों के विपरीत, जहां इस प्रकार को आंकड़े प्रतिमाह जारी किए जाते हैं, एनएसएसओ प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार रोजगार, पर सर्वेक्षण करता है । यह विचित्र है कि बीच वाले वर्षों के लिए नीति निर्माता उन्हीं पुराने आंकड़ों का उपयोग करते रहते हैं जो विद्यमान रोजगार परिदृश्य को निश्चित रूप से बिगाड़ता है । रोजगार का पुनः प्रवर्तन सरकार का निश्चित उद्देश्य है, अतः यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि समुचित नीतिगत उत्तरदायित्व के लिए रोजगार स्थिति पर सटीक तथा वर्तमान आंकड़े उपलब्ध हों । समिति चाहेगी कि कमतर तथा नियमित अंतरालों पर रोजगार आंकड़े संग्रहीत करने की जिम्मेदारी एन.एस.एस.ओ. को सौंपी जाए ।

<u>उत्तरः</u>

श्रमशक्ति से संबंधित आंकड़ों की अधिक बारंबार के अंतरालों पर उपलब्धता की आवश्यकता के विचार से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अप्रैल 2017 से रोजगार बेरोजगारी संबंधी एक नियमित सर्वेक्षण नामतः आवधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस)/जिसका प्रमुख उद्देश्य शहरी क्षेत्र में श्रम बाजार के विभिन्न सांख्यिकीय सूचकांकों के तिमाही परिवर्तनों को मापना और शहरी तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में विभिन्न श्रमशक्ति सूचकांकों के अनुमान तैयार करना है ।

मापदंडों के वार्षिक अनुमानों (ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में) अन्य के साथ-साथ, मोटे तौर पर (i) श्रमशक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर), मजदूर जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) तथा बेरोजगारी दर (यूआर) (ii) उद्योग एवं व्यवसाय-वार मजदूरों का वितरण और (iii) स्वनियोजित, नियमित आय/वेतनभोगी तथा अनियत कामगारों की औसत आय को शामिल किया जाता है । शहरी क्षेत्रों में परिवर्तनों के तिमाही आकलनों में अन्य के साथ-साथ श्रमशक्ति

भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) तथा बेरोजगारी दर (यूआर) को शामिल किया जाएगा ।

संदर्भ सां.और कार्य.कार्या. मंत्रालय के का.ज्ञा. सं.जी-20017/1/2017-बीएंडएफ, दिनांक 20.06.2017

आंकड़ा डायनामिक्स

8. समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने अमुक पहलें की हैं जैसे स्थापना ढांचे पर आधारित सेवा क्षेत्र का सर्वेक्षण जिसका जनगणना डाटाबेस से मिलान किया गया है, राज्य डीईए स्थापनाओं की निर्देशिका तथा कंपनियों के कारपोरेट मामलों संबंधी डाटाबेस । यह प्रयास उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का संपूरक होगा जो कि विनिर्माता क्षेत्र की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तथा सेवा क्षेत्र के बारे में और अधिक अच्छे अनुमान उपलब्ध करवाएगा । इसके अतिरिक्त, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का बहु-प्रतीक्षित पुनरीक्षण, आधिकारिक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है । यही नहीं, एनएसएस सर्वेक्षण कार्यक्रम का स्वरूप फिर से तैयार किया जा रहा है जिससे न केवल अधिक मांगे वाले कतिपय सर्वेक्षणों, नामतः उपभोग सर्वेक्षण की बारंबारता बढ़ेगी अपितु इसमें परिवार उपभोग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय को नियमित रूप से पंचवर्षीय आधार पर शामिल किया जा सकेगा । समिति नोट करती है कि मंत्रालय किसान ऋण निवेश सर्वेक्षण तथा कर सर्वेक्षण के स्थिति मूल्यांकन की बारंबारता बढ़ाने की उम्मीद कर रही है । समितिइस बात से सहमत है कि इन अहम उपायों से उन कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आंकड़ों की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार आएगा जो अभी तक छूटे हुए थे और इनमें आंकड़ों में अंतर आता था । तथापि समिति इस बात पर जोर देती है कि जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इन उपायों का पूरी ताकत से पालन किया जाना चाहिए और उन्हें उनके निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए । साथ ही, समिति चाहती है कि इस संबंध में निरंतर प्रगति बनी रहनी चाहिए ।

<u>उत्तरः</u>

(1) सेवा क्षेत्र के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएस) के डिजाइन तथा ढांचे का विभिन्न हितधारकों के विवरणों पर विचार करने के बाद, डॉ. अरबिन्द विरमानी, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, की अध्यक्षता वाली सेवा क्षेत्र की स्थायी समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(2)जहां तक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के पुनरीक्षण का संबंध है, यह सूचित किया गया है कि आईआईपी की 2011-12 आधार वाली नई श्रृंखला 12/5/2017 को जारी की गई है ।

(3)सर्वेक्षण करवाने तथा उपभोक्ता मंत्रालय एवं अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए प्रासंगिक मदों को शामिल किए जाने में उचित वैज्ञानिक तरीकों को अपनाए जाने के संबंध में आश्वस्त होने के

लिए, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) प्रत्येक दौर में एनएसएस रिपोर्टों में प्रस्तुत सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता की जांच करने तथा सर्वेक्षण उपकरणों के विकास की देखरेख करने के लिए एक कार्य समूह की नियुक्ति करता है जिसमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद्, उपयोगकर्ता मंत्रालय/संगठनों के अधिकारी तथा अन्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं ।

एनएसएसओ द्वारा सर्वेक्षण के दौर में शामिल किए जाने वालेविषयों तथा कुछ/समान विषयों के सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति की आवधिकता का निर्धारण, सामाजिक आर्थिक विषय आंकड़ों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता तथा एनएसएसओ द्वारा एक दौर के दौरान अपने पास उपलब्ध श्रमशक्ति संसाधनों का उपयोग करते हुए किए जाने वाले सर्वेक्षण का कार्य भार को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोगद्वारा किया जाता है ।

और अधिक बारंबार अंतरालों पर श्रमशक्ति सांख्यिकी की उपलब्धता की आवश्यकता पर विचार करते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अप्रैल 2017 से नियमित रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण जैसे आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (पीएलएएस) जोड़ा है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में श्रम बाजार के विभिन्न सांख्यिकीय सूचकांकों में होने वाले तिमाही परिवर्तनों को मापना तथा शहरी तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में विभिन्न श्रम शक्ति सूचकांकों के वार्षिक अनुमान तैयार करना है । एनएसएसओ के पास उपलब्ध श्रमशक्ति संसाधनों को उपरोक्त सर्वेक्षण का कार्यभार वहन करने के लिए उचित तरीके से संवर्धित किया गया है ।

संदर्भ सां.और कार्य.कार्या. मंत्रालय के का.ज्ञा. सं.जी-20017/1/2017-बीएंडएफ, दिनांक 20.06.2017

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजीएस)

9. समिति को अवगत कराया गया था कि संयुक्त राष्ट्र ने महा सभा के स्तर पर सतत विकास लक्ष्य के कार्यवृत्त की तैयारी के रूप में लंबे समय पश्चात अपने आधारभूत सिद्धांतों का समर्थन किया है । इसके परिणामस्वरूप, सरकार आधिकारिक आंकड़ों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार कर रही है जिसे आगामी वर्षों में मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । समिति अपेक्षा करती है कि आंकड़ों संबंधी राष्ट्रीय नीति का यथासंभव जल्दी अनुमोदन कर दिया जाएगा, फिर भी उसने जोर दिया है कि एसडीजी सूचकांक ढांचे के लिए आधार रेखा पहले ही विलंबित हो चुकी है । इसलिए समिति आग्रह करती है कि सतत विकास लक्ष्य से संबंधित सूचकांक ढांचा सूची स्थानीय स्तर के प्रदेशों की विशिष्टताएं, तटीय राज्यों, पहाड़ी तथा पर्वतीय राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए जाने चाहिए । समिति ने जोर दिया है कि यह कार्य शीघ्र आगे बढ़ाना चाहिए तथा प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए । समिति इस संबंध में सिफारिश करती है कि सतत विकास लक्ष्य (एसडीजीएम) संघ सरकार के बजट में तथा संबंधित विभागों/मंत्रालयों के अनुदान संबंधी मांगों में अलग से तथा विशेष रूप से परिलक्षित होने चाहिए और लक्ष्यों का हरेक कार्यक्रम/स्कीम के साथ तालमेल बैठाना चाहिए ।

<u>उत्तरः</u>

सतत विकास लक्ष्य(एसडीजीएस) का अनुवीक्षण करने के लिए सूचकांक ढांचा राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर एक साथ विकसित किए गए हैं । संयुक्त राष्ट्र की सांख्यिकीय आयोग ने प्रारंभिक वैश्विक सूचकांक सूची पर विचार किया तथा मार्च 2017 में स्वीकार किया था जिस पर जुलाई 2017 की संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) में विचार किया जाएगा ।

राष्ट्रीय अनुवीक्षण ढांचा संबंधी मंत्रणाएं सन 2015 में प्रस्तावित वैश्विक सूचकांकों की एक प्रारूप सूची प्राप्त करने के पश्चात प्रारंभ की गई थी । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जिसे राष्ट्रीय एसडीजी सूचकांक ढांचा तैयार करने का कार्य सौपा गया है, नीति आयोग के साथ निकट समन्वय में कार्य कर रहा है । राष्ट्रीय अनुवीक्षण ढांचा विकसित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ पत्राचार, बैठकों, कार्यशालाओं आदि के

माध्यम से परामर्श प्रक्रियाएं आरंभ की जा चुकी हैं । इस प्रकार तैयार राष्ट्रीय सूचकांकों की प्रारूप सूची पर सितंबर,2016 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों ने भाग लिया था। कार्यशाला में गई चर्चाओं के आधार पर प्रारूप सूची में संशोधन किए गए थे । एसडीजीएस राष्ट्रीय सूचकांक ढांचे का संशोधित प्रारूप मार्च 2017 में खुली चर्चा हेतु पब्लिक डोमेन में रखा गया था । संयुक्त राष्ट्र संगठनों, नागरिक समाजों तथा अन्य संगठनों से बहुत बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थी । वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नीति आयोग तथा संबंधित मंत्रालयों के समन्वयन से राष्ट्रीय सूचकांकों को लक्ष्य के अनुसार अंतिम रूप दे रही है । सूचकांकों को अंतिम रूप देते समय, आधार रेखा आंकड़ों की उपलब्धता की जांच भी की जा रही है तथा संबंधित नोडल मंत्रालयों से, जहां संभव है वहां आधार रेखा आंकड़ें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा ।

संदर्भ सां.और कार्य.कार्या. मंत्रालय के का.ज्ञा. सं.जी-20017/1/2017-बीएंडएफ, दिनांक 20.06.2017